142 मिनी रत्न उद्यमों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

मिनी रत्न उद्यमों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश लोक उद्यम विभाग के तारीख 9 अक्तूबर, 1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों के जारी होने से लोक उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों ने मिनी रत्न उद्यमों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और बोर्ड के पुनर्गठन आदि विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कुछ प्रश्न उठाए हैं।

इन उठाए गए मामलों की विस्तार से जांच हुई है। लोक उद्यमों/प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा उठाए गए मुद्दों का सारांश और उनका स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा उठाए गए मुद्दे	लोक उद्यम विभाग का उत्तर
1.	क्या सरकार द्वारा मिनी रत्न लोक उद्यमों को सहायतार्थ अनुदान, सुलभ ऋण आदि के रूप में कोई वित्तीय सहायता या बजटीय सहायता दी जा सकती है?	जी हाँ, लेकिन जब एक बार बजटीय सहायता ले ली जाती है तो वे मिनी रत्न हैसियत के पात्र नहीं रहेगे।
2.	क्या सरकारी गारंटी पर प्रतिबंध नई सरकारी गारंटी पर या मौजूदा सरकारी गारंटी को बढ़ाने पर भी लागू होता है?	ये दोनों पर लागू होगा।
3.	क्या कंपनी पहली बार में मिनी रत्न के रूप में घोषित की जानी चाहिए या गैर– सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए समानान्तर कार्रवाई की जा सकेगी।	पात्रता मानदण्ड के आधार पर उसे मिनीरत्न घोषित किया जा सकता है और गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में पृथक कार्रवाई की जा सकती है।
4.	लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार मिनी रत्न पर पूंजीगत व्यय की वित्तीय सीमा किसी एक प्रोजेक्ट के लिए है या एक वर्ष के लिए?	पूँजीगत व्यय की वित्तीय सीमा प्रोजेक्ट/क्रियाकलाप संबंधित होती है।
5.	लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार पूँजीगत व्यय/निवेश संबंधी प्रस्ताव प्रोफेशनल और विशेषज्ञों द्वारा या उनकी सहायता से तैयार किया जाना चाहिए। क्या लोक उद्यम स्वेच्छा से विशेषज्ञों का चुनाव कर सकते हैं या कोई पैनल बनाया गया है या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए जाने हैं।	लोक उद्यम अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोफेशनल और अन्य विशेषज्ञों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
6.	क्या समझौता ज्ञापन में निष्पादन मूल्यांकन के लिए तदर्थ कार्य बल की मौजूदा प्रणाली निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए जारी रहेगी ?	जी हाँ।
7.	क्या लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी लब्ध प्रतिष्ठित प्रोफेशनल विशेषज्ञ गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित अनुदेश अनिवार्य है या ऐच्छिक ?	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित अनुदेश मिनी रत्न उद्यमों के लिए अनिवार्य हैं।
8.	क्या लोक उद्यमों की मिनी रत्न श्रेणी एक या दो में पहचान होने के बाद और गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के बाद लोक उद्यम विभाग द्वारा इन लोक	नहीं।

	उद्यमों को मिनी रत्न हैसियत प्रदान करते हुए कोई औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।	
9.	क्या लोक उद्यमों के श्रेणीकरण की जांच लोक उद्यम विभाग द्वारा की जाएगी ?	जी नहीं, लोक उद्यम विभाग को केवल सूचित किया जाना चाहिए।
10.	क्या ऐसे लोक उद्यम को मिनी रत्न के रूप में श्रेणीकृत किया जाना चाहिए जिसने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार लाभांश घोषित न किया हो क्योंकि ये लाभांश को रोक कर अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते है?	लाभांश मिनी रत्न के लिए पात्रता मानदण्ड नहीं है।

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले लोक उद्यमों की जानकारी में उपर्युक्त बातों को उनकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए लाएं।

(लो.उ.वि. का.ज्ञा.सं. लो.उ.वि./11(36)/97–वित्त, दिनांकः 17 फरवरी, 1998)